रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, बुधवार, मई 21, 1986/वैशाख 31, 1908

No. 115] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 21, 1986/VAISHAKHA 31, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(सरकारी उद्यम विभाग)

(सरकारी उद्यम कार्यालय)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1986

संकल्प

संख्या 2(10)/83-.स.उ.का.(मजूरी कक्ष):—केन्द्रीय सरकार के अधीन 217 सरकारी उद्यम (बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) हैं, जिनमें लगभग 21 लाख कामगार, लिपिक वर्गीय कर्मचारी तथा कार्यपालक सेवारत हैं। 95 प्रतिशत कामगार तथा 84 प्रतिशत कार्यपालक औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न और सम्बद्ध वेतनमानों का पालन कर रहे हैं तथा शेष केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न अपना रहे हैं।

2. सरकारी क्षेत्र के 57 उद्यमों के अधिकारी संघों तथा कर्मचारी यूनियनों ने केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का पालन कर रहे उद्यमों में वेतनमानों तथा भत्तों को युक्तिसंगत बनाने तथा उन्हें औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न पर लाने के सरकारी निर्णय को उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी थी।

3. उच्चतम न्यायालय ने 14-3-1986 को उनकी सुनवाई के दौरान भारत सरकार को निदेशित किया था कि केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों तथा महंगाई भत्ते द्वारा शासित सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों से संबन्धित वेतनमानों तथा अन्य आनुषंगिक मामलों जैसे अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता तथा अन्य भत्तों संबन्धी विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की जाए, जिसमें उच्चतम न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारत सरकार का एक वरिष्ठ सिविल अधिकारी शामिल हो। उच्चतम न्यायालय ने यह निदेशित किया है कि यह समिति प्रारम्भ में ही भारत सरकार से संबन्धित सरकारी उद्यमों के 1000 रुपये से अधिक मासिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता मंजूर करने से संबन्धित मामले शुरू करेगी तथा उन्हें आवश्यक सहायता मंजूर करेगी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निदेशित किया था कि उनके द्वारा जारी किए गए अन्तरिम आदेश इन सभी पहलुओं पर विचार करते समय समिति के आड़े नहीं आयेंगे। तदनुसार केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक वेतन समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(1) अध्यक्ष—श्री जस्टिस पी.एन. सिंघल

(2) सदस्य—श्री ए.के. मजूमदार।

4. वेतन समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:—

(1) केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का पालन करने वाले कामगारों, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों तथा निदेशक मंडल स्तर के नीचे के अधिकारियों को उपलब्ध नकद तथा अन्य किसी रूप में समग्र लाभों को ध्यान में रखते हुए परिलब्धियों तथा सेवा शर्तों की वर्तमान संरचना की जांच करना तथा ऐसे परिवर्तन सुझाना, जो वांछनीय तथा व्यावहारिक हों।

(2) उपर्युक्त कर्मचारियों को वेतन तथा महंगाई भत्ते के अलावा फिलहाल उपलब्ध भत्तों तथा अन्य किसी रूप में लाभों की विविधता की जांच करना तथा कार्यकुशलता को बेहतर

बनाने के उद्देश्य से उन्हें युक्तिसंगत बनाने तथा उनका सरलीकरण करने का सुझाव देना ।

(3) ऐसे सभी सरकारी उद्यमों (भारत सरकार से संबन्धित तथा केन्द्रीय महंगाई भत्ता का पालन करने वाले) कर्मचारियों, जिनका मूल मासिक वेतन 1000 रुपये से अधिक है, को अन्तरिम सहायता मंजूर करने से संबन्धित मामलों की जांच करना तथा यदि अभीष्ट हो तो भी उन्हें अन्तरिम सहायता मंजूर करना ।

(4) उपर्युक्त वाद विषयों पर सिफारिशें करते समय समिति अन्य संबन्धित बातों जैसे औद्योगिक महंगाई भत्ता अपनाने वाले सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में प्रचलित वेतनमानों, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों, देश की आर्थिक परिस्थितियों, इन सरकारी उद्यमों के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखेगी ।

5. यह समिति अपनी कार्यविधि स्वयं तैयार करेगी और वह ऐसे सलाहकारों संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है जैसाकि यह किसी विशेष प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे । वह ऐसी जानकारी मांग सकती है और ऐसा साक्ष्य ले सकती है जिसे वह आवश्यक समझे । भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम ऐसी जानकारी तथा दस्तावेज और अन्य सहायता प्रदान करेंगे, जिनकी वेतन समिति को आवश्यकता पड़ेगी । यह आशा की जाती है कि इन सरकारी उद्यमों से सम्बद्ध सेवा संघ तथा कामगार यूनियनें समिति को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगी ।

6. यह समिति अपने कार्य ग्रहण करने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

वी.के. दर, सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Public Enterprises)
(Bureau of Public Enterprises)
New Delhi, the 7th April, 1986

RESOLUTION

No. 2(10)/83-BPE(WC).—Under the Central Government, there are 217 public enterprises (excluding Banks, Insurance Companies and Finance Institutions) employing nearly 21 lakh workers, clerical staff and executives. 95 per cent of the workers and 84 per cent of the executives are following the Industrial DA pattern and related scales of pay, and the rest are on the Central DA pattern.

2. The Officers Associations and Employees Unions of 57 public sector enterprises had challenged in the Supreme Court and various High Courts the Government decision to rationalise scales of pay and allowances of the enterprises which have been following the Central DA pattern and bring them on to the Industrial DA pattern.

3. The Supreme Court at their hearing on 14-3-86 directed the Government of India to appoint a High Power Committee consisting of a retired Judge of the Supreme Court and a Senior Civil Servant of Government of India to go into the various aspects relating to pay scales and other incidental matters such as additional DA, interim relief and other allowances relating to the employees working in public sector governed by the Central Government pay scales and DA. The Supreme Court has directed that this Committee at the threshold would take up the matter relating to the grant of interim relief to the employees of public enterprises belonging to the Government of India who are drawing a basic pay above Rs. 1000 per month and grant necessary relief to them. The Supreme Court had also directed that interim orders passed by them will not stand in the way of the Committee considering the question in all its aspects. Accordingly the Central Government hereby appoint a Pay Committee consisting of the following :—

(i) Chairman—Shri Justice P. N. Shinghal

(ii) Member—Shri A. K. Majumdar.

4. The terms of reference of the Pay Committee will be as follows.—

I. To examine the present structure of emoluments and conditions of service taking into account the total packet of benefits in cash and kind, available to the workers, clerical staff supervisors and officers, below the Board level following the Central DA pattern and to suggest changes which may be desirable and feasible.

II. To examine the variety of allowances and benefits in kind that are presently available to the above noted employees in addition to pay and DA and suggest rationalisation, simplification thereof with a view to promoting efficiency.

III. To examine matters relating to grant of interim relief to the employees of all such public enterprises (belonging to the Government of India and following the Central DA pattern) who are drawing basic pay above Rs. 1000 per month and grant necessary relief to them, if called for.

IV. While making recommendations on the above points the Committee would keep in view other related factors such as scales of pay DA and allowances prevailing in other public sector undertakings on industrial DA formula, economic conditions in the country, resources available at the disposal of these public enterprises.

5. The Committee would devise its own procedures and may appoint such advisors institutional consultants and exports as it may consider necessary for any particular purpose. The Committee may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. Ministries /Departments of the Government of India and Central Government public sector enterprises will furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Pay Committee. It is expected that Service Associations and workers Unions concerned with these public enterprises would extend to the Committee their fullest cooperation and assistance.

6. The Committee would make its recommendations within a period of four months from the date of assumption of its office.

V. K. DAR, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986